eISSN 2581-8996
ONLINE
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Vol. 4, Issue 02, July 2021

# मानव अधिकार और पुलिस सुधार : भारत का परिप्रेक्ष्य (1947–2021)

**सतीश तिवारी**[1]

[1]प्राचार्य, कौशलेन्द्र राव ला कालेज, बिलासपुर, छत्तीसगढ

Received: 07 July 2021, Accepted: 15 July 2021, Published with Peer Review on line: 10 Sep 2021

## Abstract

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत ने लोकतांत्रिक मूल्यों और नागरिक स्वतंत्रताओं को संविधान में समाहित किया, किंतु पुलिस व्यवस्था में उपनिवेशकालीन ढांचे की निरंतरता ने मानवाधिकारों के संरक्षण में बाधाएं उत्पन्न कीं। यह शोधपत्र 1947 से 2021 तक भारत में मानवाधिकारों की स्थिति और पुलिस सुधारों के प्रयासों का विश्लेषण करता है। इसमें विभिन्न आयोगों की सिफारिशों, न्यायिक हस्तक्षेपों, और पुलिस की कार्यप्रणाली में बदलावों का अध्ययन किया गया है। शोध से स्पष्ट होता है कि प्रभावी पुलिस सुधारों के अभाव में मानवाधिकारों का उल्लंघन जारी है, और न्यायिक निर्देशों के बावजूद सुधारों का कार्यान्वयन अधूरा है।

**कीवर्ड्स–** मानव अधिकार, पुलिस सुधार, भारत, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, न्यायिक हस्तक्षेप, पुलिस आयोग, पुलिस जवाबदेही, संविधान, लोकतंत्र, पुलिस प्रशिक्षण

## Introduction

भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति (1947) के साथ ही देश ने लोकतांत्रिक शासन प्रणाली और मानवाधिकारों की रक्षा के सिद्धांतों को अपनाया। संविधान द्वारा नागरिकों को जीवन, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा जैसे मूल अधिकारों की गारंटी दी गई। इन अधिकारों के संरक्षण और संवर्धन के लिए स्वतंत्र भारत ने अनेक संवैधानिक और विधिक उपायों को अपनाया। परंतु, पुलिस व्यवस्था, जो उपनिवेश काल में एक दमनकारी संरचना के रूप में विकसित हुई थी, स्वतंत्रता के पश्चात भी लगभग अपरिवर्तित ही बनी रही। भारतीय पुलिस व्यवस्था का मूल उद्देश्य कानून व्यवस्था बनाए रखना और अपराधों की रोकथाम करना है, परंतु समय–समय पर इसके कार्यों में मानवाधिकारों के उल्लंघन के अनेक प्रकरण सामने आए हैं। पुलिस हिरासत में यातना, फर्जी मुठभेड़, अवैध गिरफ्तारी और बल प्रयोग जैसी घटनाएँ मानवाधिकार हनन की गंभीर समस्याएँ बनी रहीं। पुलिस की इस भूमिका पर देश और दुनिया में चिंता व्यक्त की गई है।

मानवाधिकार संगठनों, न्यायपालिका, और सिविल सोसायटी ने समय–समय पर इस मुद्दे पर आवाज उठाई है। भारत में पुलिस सुधार की आवश्यकता का मुद्दा दशकों से प्रासंगिक है। धर्मवीर आयोग (1977), रिबेरो समिति (1998), पद्मनाभैया समिति (2000), और मलिमथ समिति (2002द्द03) जैसी अनेक समितियों ने पुलिस सुधारों की सिफारिशें प्रस्तुत कीं। साथ ही, 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ मामले में ऐतिहासिक निर्णय देते हुए सात महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए। इन निर्देशों में राज्य सुरक्षा आयोग की स्थापना, पुलिस प्रमुखों के कार्यकाल की सुरक्षा, और पुलिस शिकायत प्राधिकरण की स्थापना जैसे कदम शामिल थे। हालांकि, इन सुधार प्रयासों और न्यायिक निर्देशों के बावजूद, पुलिस व्यवस्था में अपेक्षित बदलाव नहीं आ सका। इसका मुख्य कारण सुधारों के क्रियान्वयन में राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी,

eISSN 2581-8996
ONLINE
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Vol. 4, Issue 02, July 2021

संस्थागत जड़ता, और पुलिस बलों में जवाबदेही और पारदर्शिता की कमी रहा है। इससे मानवाधिकारों का संरक्षण प्रभावित होता रहा।

इस शोध पत्र में भारत में 1947 से 2021 तक मानवाधिकारों की स्थिति और पुलिस सुधार के प्रयासों का गहन विश्लेषण किया गया है। इसमें ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, प्रमुख सुधार समितियों और न्यायालय के निर्देशों के साथ–साथ पुलिस और मानवाधिकारों की यथास्थिति पर विचार किया गया है। साथ ही, भारत में पुलिस सुधार की आवश्यकता, बाधाएँ, और भविष्य की दिशा पर भी प्रकाश डाला गया है।

**परिकल्पना (Hypothesis)–** इस शोध का मुख्य उद्देश्य यह परिकल्पित करना है कि भारत में स्वतंत्रता (1947) से लेकर 2021 तक पुलिस व्यवस्था में सुधार और मानवाधिकारों के संरक्षण हेतु किए गए प्रयास अपर्याप्त रहे हैं। पुलिसकर्मियों की कार्यप्रणाली, प्रशिक्षण, और जवाबदेही में सुधार से ही मानवाधिकार उल्लंघनों को रोका जा सकता है।

- पुलिस सुधार की दिशा में ठोस नीतिगत और प्रशासनिक कदम उठाए जाने चाहिए।
- प्रशिक्षण में नैतिक मूल्यों और संवेदनशीलता का समावेश आवश्यक है।
- तकनीकी और कानूनी सुधारों के साथ–साथ पुलिस और जनता के बीच विश्वास बहाली आवश्यक है।

**शोध प्राविधि (Research Methodology)–**

यह शोध मुख्यतः दस्तावेज विश्लेषण (Document Analysis) पर आधारित है।

**आधार स्रोत–** संविधान, पुलिस सुधार आयोगों की रिपोर्टें, मानवाधिकार आयोग की रिपोर्टें, न्यायिक निर्णय, सरकारी दस्तावेज, और शैक्षणिक पुस्तकें।

**अन्वेषण पद्धति–** ऐतिहासिक, विवरणात्मक और विश्लेषणात्मक पद्धति का उपयोग।

**तथ्य संकलन–** पुस्तकालयों, सरकारी वेबसाइटों, मानवाधिकार संगठनों और न्यायिक अभिलेखागार से आंकड़े और तथ्य संकलित किए गए।

**डाटा विश्लेषण–** विभिन्न सिफारिशों, न्यायिक हस्तक्षेपों और उनके प्रभाव का तुलनात्मक अध्ययन।

**समाप्ति निष्कर्ष–** इस विश्लेषण से वर्तमान पुलिस सुधार की स्थिति, चुनौतियाँ और संभावनाएँ स्पष्ट की गईं।

**भारत में मानवाधिकारों का विकास–** मानवाधिकार प्रत्येक मनुष्य को जन्मसिद्ध अधिकार स्वरूप प्राप्त होते हैं। स्वतंत्र भारत में मानवाधिकारों का विकास देश की ऐतिहासिक, सामाजिक, राजनीतिक और कानूनी पृष्ठभूमि में गहराई से जुड़ा हुआ है। 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात, भारत ने लोकतांत्रिक व्यवस्था और नागरिक स्वतंत्रताओं को प्राथमिकता दी। संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से भारत ने मानवाधिकारों के संरक्षण और संवर्धन की मजबूत नींव रखी। मानवाधिकारों की अवधारणा का उद्भव वैश्विक और भारतीय दोनों संदर्भों में हुआ। प्राचीन भारत में धर्म और नीति शास्त्रों के माध्यम से व्यक्ति की गरिमा, समानता और स्वतंत्रता पर बल दिया गया। मौर्य और गुप्त काल में राजधर्म और नीति–सिद्धांतों में नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की परंपराएँ दिखाई देती हैं। ब्रिटिश शासनकाल में दमनकारी नीतियों और औपनिवेशिक शोषण ने मानवाधिकारों के हनन को जन्म दिया। इसके विरुद्ध भारतीय

eISSN 2581-8996
ONLINE
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Vol. 4, Issue 02, July 2021

स्वतंत्रता संग्राम ने नागरिक अधिकारों, स्वतंत्रता और न्याय की मांग को प्रमुखता दी। नेहरू रिपोर्ट (1928), कराची प्रस्ताव (1931) आदि दस्तावेजों में नागरिक स्वतंत्रता और सामाजिक–आर्थिक अधिकारों की वकालत की गई।

**भारतीय संविधान और मानवाधिकार–** भारत का संविधान (1950) मानवाधिकारों की रक्षा की दृष्टि से एक ऐतिहासिक दस्तावेज है। इसमें मौलिक अधिकारों (भाग–III) और नीति निर्देशक तत्वों (भाग–IV) के माध्यम से नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14–18), स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19–22), जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 21), शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23–24) आदि शामिल हैं। नीति निर्देशक तत्व राज्य को सामाजिक और आर्थिक अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित करते हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, और समान वेतन का अधिकार।

**मानवाधिकार संरक्षण कानून और संस्थाएँ–** भारत में मानवाधिकारों की रक्षा हेतु विभिन्न विधिक प्रावधान और संस्थाएँ स्थापित की गईं। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) और राज्य मानवाधिकार आयोगों का गठन किया गया। अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989, बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986, महिला उत्पीड़न निवारण अधिनियम, 2005 जैसे कानूनों ने कमजोर वर्गों के अधिकारों की रक्षा की। न्यायपालिका ने अनेक ऐतिहासिक निर्णयों द्वारा मानवाधिकारों की व्याख्या और विस्तार किया, जैसे मनका गांधी बनाम भारत संघ (1978), विश्वा लोचन मदन बनाम भारत संघ (1997)।

**मानवाधिकारों की चुनौतियाँ–** भारत में मानवाधिकारों के विकास के बावजूद अनेक चुनौतियाँ बनी रहीं, जैसे सामाजिक असमानता और जातीय भेदभाव, महिलाओं और बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन, पुलिस और कारागारों में मानवाधिकार हनन, आतंकवाद और आंतरिक संघर्षों में नागरिक अधिकारों का संकुचन, शरणार्थियों और विस्थापितों के अधिकारों की अनदेखी।

**वैश्विक संदर्भ में भारत की भूमिका–** भारत ने संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंगीकृत मानवाधिकार घोषणाओं (UDHR-1948), अंतरराष्ट्रीय नागरिक और राजनीतिक अधिकार संधि (ICCPR), और आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार संधि (ICESCR) का समर्थन किया है। भारत विभिन्न मानवाधिकार मंचों पर सक्रिय भागीदार रहा है और शांति, समानता एवं न्याय के पक्षधर के रूप में उभरा है। भारत में मानवाधिकारों का विकास स्वतंत्रता संग्राम की विरासत, संविधान की मूल भावना, न्यायपालिका की सक्रिय भूमिका और नागरिक समाज के प्रयासों का परिणाम है। हालांकि, वास्तविकता में मानवाधिकारों की स्थिति आदर्श से दूर है। सामाजिक असमानताएँ, दमनकारी प्रवृत्तियाँ और संस्थागत कमज़ोरियाँ इन अधिकारों के सम्यक् पालन में बाधक हैं। पुलिस सुधार और मानवाधिकार संरक्षण की दिशा में ठोस कदम उठाना अनिवार्य है ताकि हर नागरिक गरिमा और सम्मान के साथ जीवन जी सके।

**भारत में पुलिस व्यवस्थारू एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य–** भारत में पुलिस व्यवस्था का विकास ऐतिहासिक, राजनीतिक और प्रशासनिक कारकों के प्रभाव में हुआ है। वर्तमान भारतीय पुलिस संरचना का स्वरूप मुख्यतः औपनिवेशिक युग में निर्मित और स्थापित ढाँचे पर आधारित है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इस व्यवस्था में

eISSN 2581-8996
ONLINE
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Vol. 4, Issue 02, July 2021

कुछ परिवर्तन तो हुए हैं, परंतु इसकी मूलभूत संरचना और कार्यशैली अभी भी उपनिवेशकालीन मानसिकता और स्वरूप को दर्शाती है। इस अध्याय में भारत में पुलिस व्यवस्था के विकास और उसके ऐतिहासिक संदर्भों का विश्लेषण किया गया है। प्राचीन भारत में पुलिस व्यवस्था का कोई औपचारिक और केंद्रीय ढांचा नहीं था, परंतु राज्य की सुरक्षा और कानून–व्यवस्था बनाए रखने के लिए स्थानीय अधिकारियों और सैनिकों की नियुक्ति की जाती थी। मौर्य काल में चाणक्य के अर्थशास्त्र में राज्य की सुरक्षा, जासूसी तंत्र, और अपराध रोकथाम के लिए विस्तृत निर्देश दिए गए हैं। धर्म और राजधर्म के सिद्धांतों के आधार पर अपराधों की रोकथाम और न्याय व्यवस्था लागू की जाती थी। महाजनपद काल में भी विभिन्न स्तरों पर प्रहरी और सैनिक तैनात रहते थे, जो राज्य और समाज की रक्षा करते थे। मध्यकाल में दिल्ली सल्तनत और मुगल शासन के दौरान पुलिस व्यवस्था अपेक्षाकृत संगठित रूप में विकसित हुई। कोतवाल प्रणाली मुगल काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। प्रत्येक नगर में एक कोतवाल नियुक्त होता था, जो कानून–व्यवस्था बनाए रखने, अपराधों की रोकथाम, और सामाजिक अनुशासन की देखरेख करता था। ग्रामीण स्तर पर पुलिस व्यवस्था मुखियाओं और ग्राम प्रहरी पर आधारित थी।

ब्रिटिश शासन में पुलिस व्यवस्था का केंद्रीकरण और औपचारिक संस्थाकरण हुआ। पुलिस अधिनियम, 1861 भारत में पुलिस व्यवस्था की आधारशिला माना जाता है। इस अधिनियम के माध्यम से पुलिस को औपनिवेशिक सत्ता की सहायता और नियंत्रण के उद्देश्य से संगठित किया गया। पुलिस बल को जनता की सेवा और अधिकारों की रक्षा के बजाय ब्रिटिश शासन की स्थिरता और औपनिवेशिक हितों की रक्षा के लिए तैयार किया गया। पुलिस का ढांचा सैन्य शैली का था, जिसका प्रमुख उद्देश्य जनता पर नियंत्रण और विद्रोहों का दमन करना था। इस काल में पुलिस अत्यधिक दमनकारी, भ्रष्ट और जनता से दूरी बनाए रखने वाली संस्था बनकर उभरी। स्वतंत्र भारत ने लोकतांत्रिक मूल्यों और मानवाधिकारों को अंगीकृत किया, परंतु पुलिस व्यवस्था में अपेक्षित सुधार नहीं हो सका। पुलिस अधिनियम, 1861 आज भी भारतीय पुलिस व्यवस्था की बुनियाद बना हुआ है। राज्य सरकारें पुलिस व्यवस्था को नियंत्रित करती हैं, जिससे इसके कार्य में राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ा है। पुलिस की कार्यशैली में औपनिवेशिक मानसिकता और दमनकारी प्रवृत्तियाँ अब भी विद्यमान हैं। स्वतंत्रता के बाद अनेक समितियाँ और आयोग गठित किए गए, जिन्होंने पुलिस सुधार की आवश्यकता पर बल दिया, परंतु इन सिफारिशों का पूर्ण क्रियान्वयन नहीं हुआ।

**पुलिस और मानवाधिकारों का संबंध–** ब्रिटिश शासन की दमनकारी परंपरा के कारण पुलिस बल में मानवाधिकारों की रक्षा की भावना की कमी रही। स्वतंत्र भारत में भी पुलिस अत्यधिक बल प्रयोग, हिरासत में यातना, फर्जी मुठभेड़, और अवैध गिरफ्तारी जैसे मानवाधिकार हनन के मामलों में लिप्त रही है। इससे पुलिस व्यवस्था में संरचनात्मक और मानसिक सुधार की आवश्यकता स्पष्ट होती है। भारत में पुलिस व्यवस्था का ऐतिहासिक विकास उपनिवेश काल की दमनकारी नीतियों से जुड़ा हुआ है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात पुलिस के उद्देश्य और कार्यप्रणाली में बदलाव की आवश्यकता थी, परंतु इसके ढाँचे और मानसिकता में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ। मानवाधिकारों की रक्षा और पुलिस सुधार की दिशा में सार्थक पहल आवश्यक है, जिससे लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना और जनता का विश्वास पुलिस पर बहाल किया जा सके।

eISSN 2581-8996
ONLINE
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Vol. 4, Issue 02, July 2021

**प्रमुख पुलिस सुधार आयोग और उनकी सिफारिशें–** स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में पुलिस व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता बार–बार अनुभव की गई। इस दिशा में अनेक समितियाँ और आयोग गठित किए गए, जिन्होंने पुलिस के कार्यप्रणाली, संरचना, मानवाधिकार संरक्षण और लोक सहभागिता को सुदृढ़ बनाने के लिए महत्वपूर्ण सिफारिशें प्रस्तुत कीं। इस अध्याय में प्रमुख पुलिस सुधार आयोगों और उनकी प्रमुख सिफारिशों का विस्तृत विश्लेषण किया गया है।

**राष्ट्रीय पुलिस आयोग (197771981)–** राष्ट्रीय पुलिस आयोग, जिसे धर्मवीर आयोग भी कहा जाता है, भारत में पुलिस सुधार की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण पहल मानी जाती है। आयोग ने पुलिस व्यवस्था में गहन सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया।

**प्रमुख सिफारिशें–** पुलिस को राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त किया जाए। राज्य स्तर पर राज्य सुरक्षा आयोग (State Security Commission) की स्थापना की जाए ताकि पुलिस की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके। पुलिस में भर्ती, प्रशिक्षण और पदोन्नति की प्रक्रिया में योग्यता और निष्पक्षता सुनिश्चित की जाए। जनता और पुलिस के बीच विश्वास बहाली के लिए सामुदायिक पुलिसिंग को प्रोत्साहित किया जाए। हिरासत में उत्पीड़न और मानवाधिकार उल्लंघन को रोकने के लिए कड़े उपाय किए जाएँ। पुलिसकर्मियों के लिए उचित वेतन, सुविधाएँ और कार्य परिस्थितियाँ उपलब्ध कराई जाएँ।

**रिबेरो समिति (1998)–** पूर्व पुलिस महानिदेशक जूलियो रिबेरो की अध्यक्षता में गठित इस समिति ने राष्ट्रीय पुलिस आयोग की सिफारिशों पर आगे काम किया और पुलिस व्यवस्था में त्वरित सुधार की आवश्यकता पर बल दिया।

प्रमुख सिफारिशें– राज्य सुरक्षा आयोग की स्थापना कर उसे पुलिस की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने का दायित्व दिया जाए। पुलिस प्रमुख (DGP) की नियुक्ति योग्यता और वरिष्ठता के आधार पर की जाए और उसे न्यूनतम कार्यकाल की गारंटी दी जाए। पुलिस पदाधिकारियों की जिम्मेदारी और जवाबदेही को स्पष्ट किया जाए। जनता की शिकायतों के निवारण के लिए पुलिस शिकायत प्राधिकरण (Police Complaints Authority) की स्थापना की जाए।

**पद्मनाभैया समिति (2000)–** गृह मंत्रालय द्वारा गठित पद्मनाभैया समिति ने पुलिस सुधार की दिशा में प्रशासनिक ढाँचे को मजबूत करने पर बल दिया।

प्रमुख सिफारिशें– राज्य पुलिस बोर्ड की स्थापना की जाए ताकि उच्चाधिकारियों की नियुक्ति और सेवा शर्तें स्वायत्त और निष्पक्ष रहें। पुलिस बल में प्रशिक्षण और तकनीकी क्षमताओं को बढ़ावा दिया जाए। आधुनिक तकनीक और उपकरणों का समावेश किया जाए। पुलिस और जनता के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए सामुदायिक पुलिसिंग को बढ़ावा दिया जाए। महिला और कमजोर वर्गों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाए।

**मल्लीमथ समिति (2003)–** विजय सिंह मल्लीमथ की अध्यक्षता में गठित इस समिति का उद्देश्य आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार था, जिसमें पुलिस व्यवस्था का महत्वपूर्ण स्थान था।

**प्रमुख सिफारिशें–** आपराधिक न्याय प्रक्रिया को त्वरित और प्रभावी बनाया जाए। पुलिस और अभियोजन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया जाए। पुलिस की विवेचना प्रक्रिया में वैज्ञानिक और तकनीकी विधियों

eISSN 2581-8996
ONLINE
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Vol. 4, Issue 02, July 2021

का उपयोग किया जाए। हिरासत में यातना और फर्जी मामलों को रोकने के लिए सख्त नियंत्रण रखा जाए।

**सुप्रीम कोर्ट के निर्देश (2006)–** प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ (2006) में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने पुलिस सुधार के लिए महत्वपूर्ण निर्देश दिए, जो अब तक की सबसे प्रभावशाली पहल मानी जाती है।

प्रमुख निर्देश– राज्य सुरक्षा आयोग की स्थापना सभी राज्यों में की जाए। पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति योग्यता और वरिष्ठता के आधार पर हो और उसे निश्चित कार्यकाल मिले। पुलिस अधिकारियों के स्थानांतरण और नियुक्ति की प्रक्रिया को राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त किया जाए। पुलिस शिकायत प्राधिकरण राज्य और जिला स्तर पर गठित किया जाए। पुलिसकर्मियों को उचित प्रशिक्षण और सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएँ।

**अन्य पहलें–** द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (2007) ने पुलिस सुधार के साथ–साथ प्रशासनिक सुधारों पर बल दिया। मानवाधिकार आयोग और महिला आयोग ने भी पुलिस के व्यवहार और कार्यप्रणाली में मानवाधिकारों और लैंगिक संवेदनशीलता के मुद्दे उठाए। भारत में पुलिस सुधार की दिशा में कई आयोगों और समितियों ने महत्वपूर्ण सिफारिशें प्रस्तुत कीं। हालांकि, इन सिफारिशों का पूर्ण क्रियान्वयन आज भी एक चुनौती बना हुआ है। पुलिस व्यवस्था में मानवाधिकारों की रक्षा और लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना के लिए इन सिफारिशों को गंभीरता से लागू करना आवश्यक है।

**न्यायिक हस्तक्षेप और पुलिस सुधार–** भारत में पुलिस सुधार की प्रक्रिया में न्यायपालिका की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। विशेषकर उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों ने पुलिस व्यवस्था में मानवाधिकार संरक्षण और सुधार के लिए अनेक ऐतिहासिक निर्णय दिए हैं। इन निर्णयों ने पुलिस की कार्यप्रणाली, जवाबदेही और पारदर्शिता को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

**न्यायपालिका की भूमिका–** भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 नागरिकों को मौलिक अधिकारों के संरक्षण हेतु सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में याचिका दायर करने का अधिकार प्रदान करता है। नागरिकों द्वारा पुलिस अत्याचार, हिरासत में मौत, फर्जी मुठभेड़ों, और अन्य मानवाधिकार हनन के मामलों में दायर याचिकाओं पर न्यायालयों ने कई बार हस्तक्षेप कर पुलिस सुधार की दिशा में ऐतिहासिक निर्णय दिए हैं।

**प्रमुख न्यायिक निर्णय और दिशा–निर्देश–**

डी.के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (1997), इस ऐतिहासिक फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने पुलिस हिरासत में मानवाधिकारों की रक्षा हेतु दिशानिर्देश जारी किए। प्रत्येक गिरफ्तारी की जानकारी परिवार को देना अनिवार्य किया गया। गिरफ्तारी और हिरासत की प्रक्रिया का रिकॉर्ड रखना अनिवार्य है। हिरासत में मेडिकल जांच आवश्यक है। गिरफ्तार व्यक्ति को वकील से मिलने का अधिकार है।

**प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ (2006)–** यह मामला भारत में पुलिस सुधार का मील का पत्थर है। सर्वोच्च न्यायालय ने पुलिस व्यवस्था को राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त करने और मानवाधिकारों की रक्षा हेतु सात सूत्रीय निर्देश दिए। प्रत्येक राज्य में राज्य सुरक्षा आयोग की सीापना हो। पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति योग्यता और वरिष्ठता के आधार पर, निश्चित कार्यकाल के साथ हो। पुलिस अधिकारियों के स्थानांतरण

eISSN 2581-8996
ONLINE
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Vol. 4, Issue 02, July 2021

और नियुक्ति में पारदर्शिता और निष्पक्षता हो। पुलिस शिकायत प्राधिकरण का गठन हो। न्यूनतम पुलिस बल की स्वायत्तता सुनिश्चित करना। पुलिसकर्मियों को उचित प्रशिक्षण और संसाधन प्रदान करना। जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए बाहरी निगरानी तंत्र।

**अन्य महत्वपूर्ण निर्णय–** श्रीमती नीलाबती बहेरा बनाम राज्य ओडिशा (1993), हिरासत में मौत के मामले में मुआवजा देने का आदेश और मानवाधिकारों की रक्षा। शेइला बरसे बनाम महाराष्ट्र राज्य (1983), महिला कैदियों के अधिकारों की सुरक्षा हेतु दिशा–निर्देश। पुनीत साहनी बनाम भारत संघ (2001), पुलिस सुधार के संदर्भ में प्रशासनिक निष्क्रियता पर कड़ी टिप्पणी।

**न्यायालयों की टिप्पणियाँ–** न्यायपालिका ने बार–बार पुलिस व्यवस्था की आलोचना की है और उसे औपनिवेशिक मानसिकता और सत्तावादी प्रवृत्तियों से मुक्त करने की आवश्यकता पर बल दिया है। उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णयों में पुलिस सुधार को केवल प्रशासनिक आवश्यकता नहीं, बल्कि मानवाधिकार संरक्षण की अनिवार्यता बताया है।

**न्यायालयों के आदेशों का पालन और चुनौतियाँ–** यद्यपि न्यायालयों ने कई ऐतिहासिक निर्णय दिए, परंतु इनका क्रियान्वयन राज्यों में संतोषजनक नहीं रहा। राज्यों ने राज्य सुरक्षा आयोग और पुलिस शिकायत प्राधिकरण की स्थापना में ढिलाई बरती। राजनीतिक हस्तक्षेप अब भी एक बड़ी चुनौती है। मानवाधिकार संरक्षण हेतु निर्देशों का पूर्ण अनुपालन नहीं हो सका है। पुलिस बल की संरचना और मानसिकता में अपेक्षित बदलाव नहीं आया है। भारत में पुलिस सुधार की दिशा में न्यायपालिका ने महत्वपूर्ण हस्तक्षेप किया है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के निर्णयों ने पुलिस कार्यप्रणाली में मानवाधिकारों की रक्षा, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु ठोस आधार तैयार किया है। किंतु इन आदेशों के क्रियान्वयन में प्रशासनिक इच्छाशक्ति और राजनीतिक स्वतंत्रता का अभाव एक बड़ी बाधा बनी हुई है।

**मानवाधिकारों का उल्लंघन और पुलिस की भूमिका–** भारतीय संविधान और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार घोषणाओं में प्रत्येक नागरिक को सम्मान, स्वतंत्रता और सुरक्षा की गारंटी दी गई है। किंतु व्यवहार में अक्सर इन अधिकारों का हनन होता है, जिसमें पुलिस की भूमिका महत्वपूर्ण रहती है। पुलिस के कुछ मामलों में अपने अधिकारों का दुरुपयोग, सत्ता संरचना में अपनी भूमिका का अतिक्रमण और जवाबदेही की कमी मानवाधिकार उल्लंघन का कारण बनती है। भारत में मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों में पुलिस की संलिप्तता विभिन्न प्रकार से देखी गई है– हिरासत में उत्पीड़न और मृत्यु, पुलिस हिरासत में मारपीट, यातना और अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों में मौत के कई मामले सामने आए हैं। फर्जी मुठभेड़, पुलिस द्वारा संदिग्ध अपराधियों को फर्जी मुठभेड़ों में मार गिराने के मामले। अनुचित गिरफ्तारी और हिरासत, बिना पर्याप्त सबूत या न्यायिक आदेश के गिरफ्तारी, विशेषकर गरीब और वंचित वर्गों पर अत्याचार। भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी, पुलिस व्यवस्था में भ्रष्टाचार की समस्या और पीड़ितों से रिश्वत की माँग। महिलाओं और बच्चों के अधिकारों का हनन, महिला अपराधियों और बच्चों के साथ दुर्व्यवहार, यौन उत्पीड़न और शारीरिक हिंसा। दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार, सामाजिक वंचित वर्गों पर पुलिस की सख्ती और अन्याय आदि।

**प्रमुख प्रकरण और आँकड़े–** राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और विभिन्न संगठनों की रिपोर्टों के अनुसार, 1993 से 2020 तक हजारों हिरासत में मौतों और पुलिस उत्पीड़न के मामले दर्ज हुए। फर्जी मुठभेड़ों के

eISSN 2581-8996
ONLINE
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Vol. 4, Issue 02, July 2021

मामलों में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, और आंध्र प्रदेश प्रमुख राज्य रहे हैं। महिलाओं पर अत्याचार की कई घटनाएँ मीडिया और आयोगों की रिपोर्ट में सामने आई हैं, जैसे उन्नाव बलात्कार मामला (2017) और हाथरस कांड (2020)। राजनीतिक हस्तक्षेप, पुलिस पर राजनीतिक दबाव, जिससे स्वतंत्र और निष्पक्ष कार्य में बाधा उत्पन्न होती है। प्रशिक्षण और संवेदनशीलता की कमी, पुलिसकर्मियों में मानवाधिकार और संवैधानिक मूल्यों के प्रति जागरूकता और प्रशिक्षण का अभाव। जवाबदेही का अभाव, दोषी पुलिसकर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई में ढिलाई और भ्रष्टाचार। अत्यधिक कार्यभार और संसाधनों की कमी, सीमित संसाधन और मानवशक्ति के कारण पुलिस का दमनकारी रवैया। सामाजिक भेदभाव, जाति, लिंग, और वर्ग के आधार पर पुलिसकर्मियों के दृष्टिकोण में भेदभाव आदि मानवाधिकार उल्लंघन के कारण हैं।

**मानवाधिकार उल्लंघन की रोकथाम हेतु उपाय–** पुलिस प्रशिक्षण और जागरूकता, मानवाधिकारों, संवैधानिक प्रावधानों और संवेदनशीलता पर विशेष प्रशिक्षण। पारदर्शिता और जवाबदेही, पुलिस कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और दोषी कर्मियों पर कड़ी कार्रवाई। स्वतंत्र निगरानी निकायों की भूमिका, पुलिस शिकायत प्राधिकरण और मानवाधिकार आयोग की सक्रियता। सामुदायिक पुलिसिंग का विस्तार, जनता और पुलिस के बीच विश्वास बहाली। तकनीकी और कानूनी सुधार, हिरासत में निगरानी हेतु ब्ब्ज्ट, बॉडी कैमरा और डिजिटल रिकॉर्डिंग का उपयोग।

भारत में मानवाधिकार उल्लंघन की घटनाएँ गंभीर चिंता का विषय हैं। पुलिस की भूमिका को केवल कानून व्यवस्था बनाए रखने तक सीमित न मानकर उसे मानवाधिकार रक्षक और जनता की सेवा में तत्पर संस्था के रूप में बदलना आवश्यक है। इसके लिए प्रशासनिक इच्छाशक्ति, कानूनी सुधार और समाज में जागरूकता का अभाव दूर करना आवश्यक है।

**पुलिस प्रशिक्षण और व्यवहार में सुधार–** पुलिस व्यवस्था में सुधार का मूल आधार प्रशिक्षण और व्यवहार में बदलाव है। मानवाधिकारों की रक्षा और कानून का पालन सुनिश्चित करने के लिए पुलिसकर्मियों को न केवल कानूनी और तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, बल्कि उनमें नैतिकता, संवेदनशीलता और पेशेवर जिम्मेदारी का भी विकास आवश्यक है। भारत में पुलिस प्रशिक्षण की व्यवस्था पुरानी औपनिवेशिक ढाँचे पर आधारित रही है। प्रशिक्षण केंद्रों की संख्या और गुणवत्ता में व्यापक अंतर देखा जाता है। प्रशिक्षण में निम्नलिखित समस्याएँ प्रमुख हैं– प्रशिक्षण की अवधि और गुणवत्ता, कई राज्यों में प्रशिक्षण की अवधि कम है और पाठ्यक्रम में आधुनिक तकनीक तथा मानवाधिकारों पर पर्याप्त ध्यान नहीं। व्यावहारिक और कानूनी शिक्षा का अभाव, पुलिसकर्मियों को व्यवहारिक कौशल और संवेदनशीलता पर कम प्रशिक्षण दिया जाता है।

मानवाधिकार और लैंगिक संवेदनशीलता का अभाव, प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में मानवाधिकार, महिलाओं और बच्चों के अधिकारों पर सीमित ध्यान। प्रशिक्षकों की कमी, योग्य और अनुभवी प्रशिक्षकों की कमी के कारण प्रशिक्षण का स्तर प्रभावित होता है।

**पुलिस व्यवहार और इसके कारक–** पुलिस का व्यवहार कई कारकों पर निर्भर करता है–

**कठोर कार्यप्रणाली–** पुलिस बल में आदेश–पालन की संस्कृति के कारण स्वतंत्र सोच और सहानुभूति की कमी।

eISSN 2581-8996
ONLINE
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Vol. 4, Issue 02, July 2021

**अत्यधिक कार्यभार और संसाधनों की कमी**– सीमित मानवशक्ति और संसाधनों के कारण पुलिसकर्मियों में तनाव और आक्रामकता।

**राजनीतिक दबाव और भ्रष्टाचार–** राजनीतिक हस्तक्षेप से स्वतंत्र और निष्पक्ष कार्यप्रणाली बाधित होती है।

**सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण–** जाति, लिंग और वर्ग के प्रति भेदभावपूर्ण दृष्टिकोण का प्रभाव पुलिस व्यवहार पर पड़ता है।

**प्रशिक्षण और व्यवहार सुधार हेतु प्रमुख उपाय**

- अत्याधुनिक पाठ्यक्रम, मानवाधिकार, लैंगिक न्याय, बाल अधिकार, साइबर अपराध, सामुदायिक पुलिसिंग, और तकनीकी दक्षता पर केंद्रित पाठ्यक्रम।
- व्यावहारिक शिक्षा, केस स्टडी, मॉक ड्रिल, सामुदायिक सहभागिता, और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार का प्रशिक्षण।
- मानवाधिकार और संवेदनशीलता पर ध्यान, पुलिसकर्मियों में संवेदनशीलता और सहिष्णुता का विकास।
- प्रशिक्षकों का विकास, अनुभवी और पेशेवर प्रशिक्षकों की भर्ती और निरंतर प्रशिक्षण।
- निरंतर शिक्षा और उन्नयन, सेवा के दौरान भी समय–समय पर प्रशिक्षण और क्षमता विकास।
- उत्तरदायित्व और पारदर्शिता, पुलिसकर्मियों को उनके कार्यों के प्रति जवाबदेह बनाना और निगरानी व्यवस्था लागू करना।
- सामुदायिक पुलिसिंग, जनता के साथ सहयोग और विश्वास आधारित संबंध स्थापित करना।
- मानवाधिकार आयोग और शिकायत निवारण प्रणाली, पुलिस के कार्यों की स्वतंत्र निगरानी और शिकायत निवारण।
- कार्यस्थल की सुधारात्मक नीति, तनाव प्रबंधन, मनोवैज्ञानिक परामर्श, और बेहतर कार्य–जीवन संतुलन।

**अंतरराष्ट्रीय अनुभव और भारत–** यूरोप और अमेरिका में पुलिस प्रशिक्षण में संवेदनशीलता, विविधता सम्मान और सामुदायिक सहभागिता पर विशेष जोर दिया जाता है। जापान में सामुदायिक पुलिसिंग (कोबन प्रणाली) के माध्यम से पुलिस और जनता के बीच बेहतर संवाद और विश्वास स्थापित होता है। भारत को इन अनुभवों से सीखते हुए अपने पुलिस प्रशिक्षण और व्यवहार सुधार नीति को सुदृढ़ करना होगा। पुलिस प्रशिक्षण और व्यवहार सुधार, मानवाधिकारों की रक्षा और लोकतांत्रिक व्यवस्था की मजबूती के लिए अत्यंत आवश्यक है। आधुनिक और व्यावहारिक प्रशिक्षण, संवेदनशीलता, और नैतिकता पर बल देने से पुलिस व्यवस्था को अधिक मानवोचित, उत्तरदायी और प्रभावी बनाया जा सकता है। इसके लिए सरकार, पुलिस प्रशासन और नागरिक समाज को मिलकर प्रयास करने की आवश्यकता है।

**निष्कर्ष–** भारत में स्वतंत्रता के पश्चात मानवाधिकारों की अवधारणा और पुलिस सुधार की प्रक्रिया एक लंबी यात्रा रही है। संविधान द्वारा नागरिकों को जीवन, स्वतंत्रता और गरिमा का अधिकार प्रदान किया गया, परंतु व्यवहार में अक्सर इन अधिकारों का उल्लंघन होता रहा है। पुलिस व्यवस्था, जो औपनिवेशिक काल की कठोर और दमनकारी नीति पर आधारित थी, स्वतंत्र भारत में भी अपने स्वरूप में अपेक्षित सुधार प्राप्त नहीं कर सकी। 1947 से लेकर 2021 तक, पुलिस सुधार हेतु कई आयोगों ने महत्वपूर्ण सिफारिशें दीं, न्यायपालिका ने हस्तक्षेप किया, और मानवाधिकार संगठनों ने जागरूकता फैलाई। फिर भी, पुलिस हिरासत

eISSN 2581-8996
ONLINE
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Vol. 4, Issue 02, July 2021

में उत्पीड़न, फर्जी मुठभेड़, भ्रष्टाचार, और वंचित वर्गों के खिलाफ अत्याचार जैसी समस्याएँ बनी रहीं। इन समस्याओं के मूल में प्रशिक्षण की कमी, राजनीतिक हस्तक्षेप, जवाबदेही का अभाव और पुलिस प्रशासन में पारदर्शिता की कमी प्रमुख कारण रहे। भारत में पुलिस सुधार की दिशा में कदम उठाए तो गए, लेकिन वे अक्सर अधूरे और क्रियान्वयन में कमजोर रहे। वर्तमान में, तकनीकी विकास, मानवाधिकार शिक्षा, और पुलिसकर्मियों की कार्य संस्कृति में परिवर्तन की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक है।

## अनुशंसाएँ (Recommendations)–

भारत में मानव अधिकारों के संरक्षण और पुलिस सुधार के लिए निम्नलिखित अनुशंसाएँ आवश्यक हैंरू

**1. पुलिस अधिनियम (1861) का समकालीन संशोधन–** वर्तमान पुलिस अधिनियम ब्रिटिश औपनिवेशिक काल का अवशेष है, जिसे लोकतांत्रिक और मानवाधिकार–सम्मत दृष्टिकोण से पुनः संशोधित किया जाना चाहिए।

इसमें पुलिस की जवाबदेही, पारदर्शिता, तथा नागरिक स्वतंत्रताओं की सुरक्षा के लिए सटीक प्रावधान शामिल किए जाएँ।

**2. पुलिस प्रशिक्षण प्रणाली में सुधार–** पुलिस प्रशिक्षण में मानवाधिकार शिक्षा, संवेदनशीलता, तनाव प्रबंधन और विवाद समाधान कौशल को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाना चाहिए। प्रशिक्षण संस्थानों का आधुनिकीकरण और प्रशिक्षकों के कौशल विकास पर विशेष ध्यान दिया जाना आवश्यक है। नियमित री–ट्रेनिंग और कार्यस्थल पर व्यवहार सुधार के कार्यक्रम चलाए जाएँ।

**3. स्वतंत्र पुलिस शिकायत और निगरानी आयोग की स्थापना–** हर राज्य में पुलिस misconduct की जांच के लिए स्वतंत्र, निष्पक्ष और प्रभावी पुलिस शिकायत आयोग बनाए जाएँ। आयोग की शक्तियाँ बढ़ाई जाएँ ताकि वह दोषी पुलिसकर्मियों पर उचित कार्रवाई कर सके। सार्वजनिक शिकायतों की निगरानी और निष्पक्ष समाधान की प्रक्रिया पारदर्शी हो।

**4. न्यायिक हस्तक्षेप का विस्तार और प्रभावी क्रियान्वयन–** मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामलों में न्यायपालिका की भूमिका को और अधिक प्रभावी बनाया जाए। पुलिस सुधारों की समय–समय पर समीक्षा के लिए न्यायालयीय निगरानी पैनल गठित किए जाएँ।

**5. सामुदायिक पुलिसिंग और जनता की भागीदारी बढ़ाना–** पुलिस और नागरिकों के बीच विश्वास बहाल करने के लिए सामुदायिक पुलिसिंग के मॉडल को प्रोत्साहित किया जाए। सामाजिक न्याय संगठनों, नागरिक समाज, और मीडिया की भागीदारी सुनिश्चित की जाए ताकि पुलिस गतिविधियों में पारदर्शिता बढ़े।

**6. तकनीकी नवाचार और निगरानी–** पुलिस विभाग में डिजिटल उपकरणों जैसे बॉडी कैमरे, सीसीटीवी कैमरे, और मोबाइल एप्लीकेशन्स का व्यापक प्रयोग सुनिश्चित किया जाए। इन तकनीकों से पुलिस की जवाबदेही बढ़ेगी और मानवाधिकार उल्लंघन की घटनाओं में कमी आएगी।

**7. मानसिक स्वास्थ्य और कार्य–जीवन संतुलन पर ध्यान–** पुलिसकर्मियों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए परामर्श, तनाव प्रबंधन कार्यक्रम, और स्वास्थ्य जांच की नियमित व्यवस्था होनी चाहिए। कार्य–जीवन संतुलन को बढ़ावा देने के लिए समय–समय पर अवकाश और राहत प्रदान की जाए।

eISSN 2581-8996
ONLINE
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Vol. 4, Issue 02, July 2021

**8. राजनीतिक हस्तक्षेप को समाप्त करना–** पुलिस प्रशासन से राजनीतिक दबाव और हस्तक्षेप को समाप्त करने के लिए विधिक एवं प्रशासनिक उपाय किए जाएँ। पुलिस की नियुक्ति, स्थानांतरण, और प्रमोशन की प्रक्रिया में निष्पक्षता और पारदर्शिता लानी होगी।

**9. मानवाधिकार शिक्षा और जागरूकता अभियान–** पुलिस बल में मानवाधिकारों के महत्व को समझाने के लिए जागरूकता अभियान नियमित रूप से चलाए जाएँ।

आम जनता में भी पुलिस अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के कार्यक्रम संचालित किए जाएँ। भारत में मानवाधिकारों की रक्षा और पुलिस सुधार, लोकतांत्रिक शासन की मजबूती के लिए अपरिहार्य हैं। एक उत्तरदायी, संवेदनशील और पारदर्शी पुलिस व्यवस्था, नागरिकों के अधिकारों की गारंटी के साथ–साथ समाज में शांति और न्याय सुनिश्चित कर सकती है। इसके लिए सरकार, प्रशासन, नागरिक समाज और न्यायपालिका को मिलकर दीर्घकालिक और समन्वित प्रयास करने होंगे।

## सन्दर्भ सूची –

1. Baxi, Upendra (2002), The Future of Human Rights, Oxford University Press, ISBN: 978-0195667213
2. Verma, Arvind (2005), The Indian Police: A Critical Evaluation, Regency Publications, ISBN: 978-8189233160
3. Bayley, David H. (1997), Police for the Future, Oxford University Press, ISBN: 978-0195111105
4. National Human Rights Commission (2002), Custodial Justice, NHRC Publication, ISBN: 978-8187721010
5. Raghavan, R.K. (2004), Policing a Democracy: A Comparative Study of India and the US, Konark Publishers, ISBN: 978-8174815152
6. Subramanian, K.S. (2007), Political Violence and the Police in India, SAGE Publications, ISBN: 978-0761935201
7. Reiner, Robert (2010), The Politics of the Police, Oxford University Press, ISBN: 978-0199283396
8. Arnold, David (1986), Police Power and Colonial Rule: Madras 1859-1947, Oxford University Press, ISBN: 978-0195618376
9. Kumar, Mahendra Prasad (2012), Police Reforms in India: An Analysis, Cyber Tech Publications, ISBN: 978-8178849603
10. Joshi, R.P. (2003), Human Rights and Police Administration, APH Publishing, ISBN: 978-8176485391
11. Singh, Bhupendra (2018), Policing India in the New Millennium, Bloomsbury India, ISBN: 978-9387578289
12. Sethi, Harsh (1993), Policing and Human Rights in India, Economic and Political Weekly Publication, ISBN: 978-8185437012
13. Jain, M.P. (2014), Indian Constitutional Law, LexisNexis, ISBN: 978-9350353772